# न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 04 / 2017

आर.सी.एम.एस. संख्याः– 2017 / 00007

प्रकाशचन्द्र पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी समता भवन के पास, उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर ।

––वादी––

–बनाम–

1. किशनाराम पुत्र स्व. डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी समता भवन के पास, उदयरासर तहसील व जिला बीकानेर ।
2. रामलाल पुत्र स्व. डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी आम्बासर रोड़ टेलीफोन एक्सचैंज के पास, उदयरासर तहसील व जिला बीकानेर ।
3. कालूराम पुत्र स्व. डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी समता भवन के पास, उदयरासर तहसील व जिला बीकानेर ।
4. आशुराम पुत्र स्व. डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी समता भवन के पास, उदयरासर तहसील व जिला बीकानेर ।
5. पप्पूदेवी पत्नी रमणलाल पुत्री स्व. डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी मूंधड़ा कुआं वार्ड नम्बर 11 देशनोक तहसील व जिला बीकानेर ।
6. सुशीला देवी पत्नी रूपाराम पुत्री स्व. डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी मूंधड़ा कुआं वार्ड नम्बर 11 देशनोक तहसील व जिला बीकानेर ।
7. मोतीराम पुत्र स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी उदयरासर तहसील व जिला बीकानेर ।
8. मोहनी पत्नी कन्हैयालाल पुत्री स्व. रामी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बाबा रामदेव मंदिर के पास, बड़ी जसोलाई, बीकानेर ।
9. राजा पत्नी स्व. आसुराम पुत्री स्व. रामी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल बाबा रामदेव मंदिर के पास, बड़ी जसोलाई, बीकानेर ।
10. धापु पत्नी नत्थुराम पुत्री स्व. रामी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी रोशनीघर चौराहा के पास, बाबा रामदेव मंदिर, खरनाड़ा, बीकानेर ।
11. अच्चु पत्नी मोहनराम पुत्री स्व. रामी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी टेक्सी स्टेण्ड के पास, जलालसर तहसील व जिला बीकानेर ।
12. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामी पत्नी मूलाराम पुत्री स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर भवन के पास, पेमासर तहसील व जिला बीकानेर ।
13. केशरराम पुत्र स्व. रामी पत्नी मूलाराम पुत्री स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर भवन के पास, पेमासर तहसील व जिला बीकानेर ।
14. भंवरी पत्नी केशुराम पुत्री सोना पुत्री स्व. रामी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर भवन के पास, उदासर तहसील व जिला बीकानेर ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर ।

––प्रतिवादीगण––

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. श्री देवेन्द्र कुमार खत्री, अभिभाषक वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही ।
3. श्री राकेश डेलू, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से ।

4. श्री जगदीश जयपाल, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 की ओर से ।

–:निर्णयः– दिनांकः– 18.10.2019

संक्षेप में प्रकरण से सम्बंधित तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी प्रकाशचन्द्र ने प्रतिवादीगण किशनाराम वगै0 के विरूद्व एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए के तहत् न्यायालय हाजा में दिनांक 07.02.2017 को पेश कर कथन किया कि वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम उदयरासर तहसील बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 1136 तादादी 3.2600 हैक्ट, खसरा नम्बर 1138 तादादी 5.69 हैक्ट, खसरा नम्बर 1187 तादादी 0.1000 हैक्ट, खसरा नम्बर 1188 तादादी 2.2900 हैक्ट, खसरा नम्बर 1189 तादादी 0.4200 हैक्ट इस प्रकार कुल तादादी 11.7600 हैक्टेयर स्थित है । उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की 4.704–4.704 हैक्टेयर और प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 की तादादी 2.016 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 14 की तादादी 0.336 हैक्टेयर भूमि है । वादगत भूमि पर वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को मेहनत करके समतल कर काबिल काश्त बनाया है । वादी का वादगत भूमि में अपने हिस्से की 4.704 हैक्टेयर भूमि के अलावा कोई सरोकार नहीं है । वादी अपनी भूमि को अपनी इच्छानुसार विकसित करने के लिए सरकारी व अन्य वित्तिय संस्थाओं से मिल रहे लाभ व परिलाभ का पूर्ण रूप से फायदा नहीं ले सकता है । अतः उक्त वादगत भूमि में से अपनी कब्जा काश्त भूमि व उसके लगान को अन्य काश्तकारान् से अलग करा राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का अलग खाता तकसीम करवाना चाहता है, जिसके लिए उसने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है ।

2. इस वाद के प्रतिवादीगण को समन बनाम मुदायलाह बिनावत कायमी तनकीयात दिलाया गया । जिसपर प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम शर्मा, प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अभिभाषक श्री राकेश डेलू उपस्थित आये । आदेशिका दिनांक 28.08.2019 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 ने जवाब पेश कर वादगत भूमि के क्रम में वादी के कथन पर रकबे बाबत् सहमति जाहिर की, किन्तु कब्जे के क्रम में कथन किया कि खसरा नम्बर 1136 पर प्रतिवादी संख्या 7 का कब्जा लगातार चला आ रहा है तथा उसकी पानी की कुण्ड़ी बनी हुई हैं। अतः वादगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 7 की 2.352 हैक्टेयर (9 बीघा 6 बिस्वा) खसरा नम्बर 1136 जो पुराना उसके कब्जे काश्त में, दिया जाता है तो विभाजन पूर्ण रूप से स्वीकार है।

3. प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश जयपाल ने भी उपस्थित हो जवाब पेश कर रकबे बाबत् सहमति प्रदान की गई । लेकिन कब्जे के क्रम में कथन किया कि वादगत भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि है । जिसके हिस्से वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित अनुसार ही है । जिसपर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सानुसार मौके पर काबिज है।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बहस में वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुवें कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि है, जो वाके ग्राम उदयरासर तहसील बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 1136 तादादी 3.2600 हैक्ट, खसरा नम्बर 1138 तादादी 5.69 हैक्ट, खसरा नम्बर 1187 तादादी 0.1000 हैक्ट, खसरा नम्बर 1188 तादादी 2.2900 हैक्ट, खसरा नम्बर 1189 तादादी 0.4200 हैक्ट इस प्रकार कुल तादादी 11.7600 हैक्टेयर स्थित है । उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की 4.704–4.704 हैक्टेयर और प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 की तादादी 2.016 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 14 की तादादी 0.336

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

हैक्टेयर भूमि है । जो सयुंक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड़ में अंकित है । वादी ने प्रतिवादीगण को बार–बार उक्त भूमि को कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करने को कहा किन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करने से इंकार कर गये। अतः वादगत भूमि के विभाजन की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादगत भूमि में वादी के हिस्से का कब्जे काश्त के अनुसार अलग अलग खाते में दर्ज की जावें अथवा **By Meets and Bound के तहत "अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी"** भूमि का वादी का हिस्सा अलग कर नक्शा बनाया जाकर लगान अलग से निर्धारित किया जाना न्यायोचित हैं । अतः उक्त अनुसार विभाजन किया जावें ।

5. प्रतिवादी संख्या 7 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादपत्र में वादी के कथन पर रकबे बाबत् उसकी सहमति है, किन्तु कब्जे के क्रम में कथन किया कि खसरा नम्बर 1136 पर प्रतिवादी संख्या 7 का कब्जा लगातार चला आ रहा है तथा उसकी पानी की कुण्ड़ी बनी हुई हैं। अतः वादगत भूमि में से प्रतिवादी संख्या 7 की 2.352 हैक्टेयर (9 बीघा 6 बिस्वा) खसरा नम्बर 1136 जो पुराना उसके कब्जे काश्त में, के अनुसार खाता विभाजन अथवा **By Meets and Bound के तहत "अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी"** किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 7 को कोई आपत्ति नहीं है ।

6. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि है । जिसके हिस्से वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित अनुसार ही है। जिसपर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सानुसार मौके पर काबिज है। अतः वादगत भूमि का खाता विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से का कब्जे काश्त के अनुसार अलग अलग खाते में दर्ज की जावें अथवा **By Meets and Bound के तहत "अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी"** किया जाना न्यायोचित हैं । अतः सभी का खाता विभाजन किया जाकर वादगत भूमि में सबके हिस्से अलग कर नक्शा बनाया जाकर लगान अलग से निर्धारित किया जावें ।

7. प्रकरण में पत्रावली व बहस पर मनन के बाद यह प्रकट होता है कि वादगत अराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 की संयुक्त खाते की खातेदारी भूमि है। जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ता 14 कब्जे अथवा **By Meets and Bound के तहत "अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी"** के आधार पर विभाजन करवाना चाहते हैं। इसी आशय के हस्ताक्षर पत्रावली में वादी एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 द्वारा किये गये है । अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। तहसीलदार राजस्व बीकानेर को विभाजन के प्रस्ताव **By Meets and Bound के तहत "अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी"** के आधार पर तैयार किये जाकर उनके खाते व लगान पृथक–पृथक कायम किये जाकर उनकी भूमियों को नक्शें में अलग–अलग रंगों से दर्शातें हुवें प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन की प्राथमिकी डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा सुनाया एवं लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

# प्राथमिकी डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत.......... सहायक कलक्टर ...........मुकाम...........बीकानेर

**बइजलास : बिन्दु खत्री, आर.ए.एस.**

**प्रकाशचन्द्र – : बनाम : – किशनाराम आदि**

**मुकदमा नम्बर : 04/2017**

**आर.सी.एम.एस. संख्याः– 2017/00007**

**दावा अन्तर्गत धाराः 53 आर.टी.एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री देवेन्द्र कुमार खत्री, अभिभाषक मिनजानिब मुदई व श्री राकेश डेलू, श्री जगदीश जनागल मिनजानिब मुदायलाह 7, 8 ता 14 पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार बीकानेर को वादगत भूमि के भूमि व लगान विभाजन के प्रस्ताव **By Meets and Bound** के तहत **''अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी''** के आधार पर तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नीज ........................मुबलिक ......................बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .............. फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल यानी तक ........-......... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.10.2019 को डिक्री जारी की गई।

दस्तखत.........................

ओहदा **सहायक कलक्टर बीकानेर शहर**

| मुदई | रूपया | नं.पै. | मुदायला | रूपया | नं.पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्म<br>नामा मुत्फरिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन को चाहे गिरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2019.11.22 17:10:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: